न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 46/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
वीणा धर्मपत्नि महेन्द्र गहलोत जाति माली निवासी कोर्ट के सामने, सुमेरपुर जिला पाली		1 ईश्वरलाल पुत्र शिवलाल जाति ब्राहमण निवासी भाटून्द तहसील बाली 2 दी पाली सेन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक लि0 शाखा बेडा तहसील बाली 3 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली 4 उप तहसीलदार (भू0अ0) बेडा तहसील बाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री राजेन्द्र मेवाडा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री खीमाराम परिहार, सरकारी पैरोकार
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.12.2017

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम भाटून्द तहसील बाली के नामान्तरकरण संख्या 1338 पर उप तहसीलदार (भू0अ0) बेडा द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 08.01.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम भाटून्द के खसरा 2491 रकबा 10.14 हैक्टेयर की भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि में से 3/4 हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 30.04.2014 के जरिये अपीलाण्ट को बेचान कर दिया। इस बेचान के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास शेष भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 26.05.2014 को अपीलाण्ट के पक्ष में बेचान किया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास उक्त खसरा नम्बर की भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा निहित नही था। अपीलाण्ट द्वारा उक्त बेचान दस्तावजे की प्रमाणित प्रतिलिपीयां पटवारी हल्का को नामान्तरकरण दायर करवाने का निवेदन किया, किन्तु पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण दायर नही किया।

अति॰ जिला कलक्टर, पाली

इसके पश्चात पटवारी से जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि जमाबन्दी में अपीलाण्ट का नाम दर्ज ही नही है तथा न ही पटवारी हल्का द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण दायर किया। इस दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने का अनुचित लाभ प्राप्त करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से ऋण लेकर उक्त भूमि जैर अपील नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में रहन दर्ज करवा ली। जबकि उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का किसी प्रकार का हक हिस्सा निहित नही था। इस कारण जैर अपील नामान्तरकरण अपीलाण्ट के हक हकूकों के विरूद्ध शून्य एवं बेअसर है। लिहाजा अपील स्वीकार करावे एवं जैर अपील नामान्तरकरण पर उप तहसीलदार बेडा द्वारा पारित स्वीकृति आदेश अपास्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर अपील नामान्तरकरण ईश्वरलाल पुत्र शिवलाल द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में रहन रखने पर दायर कर दिनांक 08.01.2015 को स्वीकृत किया गया है। इससे पूर्व ही उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 30.04.2014 एवं दिनांक 26.05.2014 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट को विक्रय की जा चुकी थी। इस प्रकार जिस दिनांक को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि में से अपने तथाकथित हिस्से को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में रहन रखा है, उसका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किसी प्रकार का अधिकार नही था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपना हिस्सा बेचान करने के बावजूद भी विधि विरूद्ध रूप से राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ प्राप्त करते हुए रहन रखी गई एवं जैर अपील नामान्तरकरण दायर करवाया गया, जो विधि विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त उक्त बेचान दस्तावेज को किसी भी सक्षम न्यायालय से निष्प्रभावी घोषित नही करवाये जाने के कारण उक्त रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज आज भी प्रभाव में है। अब प्रकरण में स्थिति यह बनती है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में भूमि रहन रखी है तथा रहननामा भी पंजीबद्ध है, जिसके आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण दायर किया गया है। हस्तगत प्रकरण में नामान्तरकरण की प्रक्रिया एवं वैधानिकता को जांचा एवं परखा जाना है। जैर अपील नामान्तरकरण पर स्वीकृति आदेश पारित करने में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटी नही पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा ग्राम भाटून्द तहसील बाली के नामान्तरकरण संख्या 1338 पर उप तहसीलदार (भू0अ0) बेडा द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 08.01.2015 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी अधीनस्थ न्यायालय को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली